

राजस्थान सरकार
चिकित्सा शिक्षा (ग्रुप-1) विभाग

क्रमांक : प. 1(67)एमई/ग्रुप-1/2009

जयपुर, दिनांक :

आदेश

12 APR 2018


राजस्थान चिकित्सा सेवा (महाविद्यालय शाखा) नियम, 1962 के नियम 24ए के उप नियम-8 के अन्तर्गत गठित विभागीय पदोन्नति समिति की सिफारिश पर निम्नांकित वरिष्ठ प्रदर्शक, फोरेन्सिक मेडिसिन को वर्ष 2017-18 की रिक्तियों के विरुद्ध वरिष्ठता-सह-योग्यता के आधार पर सहायक आचार्य, फोरेन्सिक मेडिसिन के पद पर एतद्वारा पदोन्नत किया जाता है :-

- (1) डॉ० बिनाका गाँधी
- (2) डॉ० मनोज गर्ग

पदोन्नति पर उक्त चिकित्सकों का पदस्थापन उनके नाम के सम्मुख अंकित मेडिकल कॉलेज में एतद्वारा तुरन्त प्रभाव से किया जाता है :-

क्र.सं.	नाम चिकित्सक शिक्षक	वर्तमान पद एवं पदस्थापन स्थान	पदोन्नति पर पद व पदस्थापन स्थान
1.	डॉ० बिनाका गाँधी	वरिष्ठ प्रदर्शक, फोरेन्सिक मेडिसिन, मेडिकल कॉलेज, अजमेर	सहायक आचार्य, फोरेन्सिक मेडिसिन, मेडिकल कॉलेज, जोधपुर
2.	डॉ० मनोज गर्ग	वरिष्ठ प्रदर्शक, फोरेन्सिक मेडिसिन, मेडिकल कॉलेज, बीकानेर	सहायक आचार्य, फोरेन्सिक मेडिसिन, मेडिकल कॉलेज, बीकानेर

आज्ञा से,


(रतन लाल)

शासन उप सचिव

प्रतिलिपि निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है :-

1. विशिष्ट सहायक, माननीय मंत्री, चिकित्सा शिक्षा विभाग, राज. जयपुर।
2. निजी सचिव, शासन प्रमुख सचिव, चिकित्सा शिक्षा विभाग, राज. जयपुर।
3. निजी सचिव, शासन सचिव, कार्मिक विभाग, राज. जयपुर।
4. सचिव, राजस्थान लोक सेवा आयोग, अजमेर।
5. प्रधानाचार्य एवं नियंत्रक, मेडिकल कॉलेज, अजमेर/बीकानेर/जयपुर/जोधपुर/कोटा/उदयपुर।
6. संबधित चिकित्सक शिक्षक द्वारा प्रधानाचार्य एवं नियंत्रक मेडिकल कॉलेज।
7. सहायक प्रोग्रामर चिकित्सा शिक्षा विभाग को विभागीय वेबसाइट पर अपलोड करने हेतु।
8. रक्षित पत्रावली।



(महेश व्यास)

शासन सहायक सचिव